

—कार्यालय ज्ञाप—

राजकीय कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं अशासकीय प्रतिष्ठानों/संगठनों में कार्यरत महिलाओं को सैक्सुअल हारैसमेंट एवं यातनाओं से बचाने विषयक रिट याचिका संख्या 666-70/92 विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-141 के अन्तर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न/निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष नियमावली-2013 प्रख्यापित करते हुए लागू की गयी है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर पूर्व में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निर्गत समस्त कार्यालय ज्ञापों को अतिक्रमित करते हुए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर में आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्रीमती कंचन सुबोध	संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ	पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष
2	श्री अजय कुमार चौरसिया	उपायुक्त उद्योग, मुख्यालय, कानपुर।	सदस्य
3	श्री अशोक कुमार	उपायुक्त उद्योग, मुख्यालय, कानपुर।	सदस्य
4	श्रीमती संध्या	सहायक आयुक्त उद्योग, मुख्यालय, कानपुर।	सदस्य
5	श्रीमती रुचि शुक्ला	सहायक आयुक्त उद्योग, मुख्यालय, कानपुर।	सदस्य
6	सुश्री मनप्रीत कालरा	सचिव, दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी दर्शन पुरवा, कानपुर।	सदस्य
7	श्रीमती ऋचा मिश्रा	सचिव, नव गणेशा फाउन्डेशन, काकादेव, कानपुर	सदस्य
8	श्रीमती सरिता वर्मा	अपर सॉखिकीय अधिकारी, मुख्यालय, कानपुर।	सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा विभाग में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के सम्बन्ध में भारत सरकार राज्य सरकार एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक आहूत करने हेतु तिथि/समय निर्धारण एवं बैठक की कार्यवृत्ति सदस्य सचिव तथा पीठासीन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी होगी।

हो।—

(मनीष चौहान)

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश।

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0,
नियुक्ति अनुभाग-3बी,
(महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ)

संख्या 1435-42 /3-बी/म0उ0प्रको0/02/2022-23

कानपुर : दिनांक : 28.07.2022

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
3. वैयक्तिक सहायक, अपर आयुक्त उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
4. समस्त अपर/संयुक्त/उपायुक्त उद्योग मुख्यालय कानपुर।
5. संयुक्त आयुक्त उद्योग(पीठासीन अधिकारी)/समस्त सदस्यगण, उ0प्र0, कानपुर
6. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0।
7. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, उ0प्र0।
8. सहायक आयुक्त उद्योग, नियुक्ति अनुभाग-3बी, मुख्यालय कानपुर।

(सर्वेश्वर शुक्ला)

प्रभारी अपर आयुक्त उद्योग(कार्मिक)

उत्तर प्रदेश।